

छठी अनुसूची
(धारा 83 देखिए)

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के उपबंध जिसका संशोधन किया जाना है	संशोधन	संशोधन के प्रभाव की अवधि
(1)	(2)	(3)
तारीख 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 143(अ) द्वारा यथा प्रकाशित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 का नियम 18।	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के नियम 18 में, स्पष्टीकरण के पहले निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— “परंतु यह कि कारखाने से निर्यात के लिए निकाले गए उत्पाद-शुल्क्य माल पर संदत्त शुल्क का रिबेट संदत्त शुल्क के उस भाग के लिए भी अनुज्ञेय होगा जिसके लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 508(अ), तारीख 8 जुलाई, 1999 [32/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999] या सा.का.नि. 509(अ), तारीख 8 जुलाई, 1999 [33/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999] सा.का.नि. सं. 565(अ), तारीख 31 जुलाई, 2001 [39/2001-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 31 जुलाई, 2001] या भारत सरकार के तत्कालीन वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 764(अ), तारीख 14 नवंबर, 2002 [56/2002-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 14 नवंबर, 2002], सं. सा.का.नि. 765(अ), तारीख 14 नवंबर, 2002 [57/2002-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 14 नवंबर, 2002] या भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 513(अ), तारीख 25 जून, 2003 [56/2003-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 25 जून, 2003], सं. सा.का.नि. 717(अ), तारीख 9 सितंबर, 2003 [71/2003-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 9 सितंबर, 2003] के निबंधनों के अनुसार प्रतिदाय अनुदत्त किया गया है।”।	1 मार्च, 2002 से 7 दिसंबर, 2006 तक (दोनों दिनों सहित)।